

**जनसंपर्क संचालनालय, छत्तीसगढ़ द्वारा मीडिया कवरेज हेतु
वाहन किराये पर उपलब्ध कराने वाली एजेंसियों का
इम्पैनलमेंट हेतु निविदा
(द्वितीय आमंत्रण)**

निविदा सूचना क्रमांक – 1580

नवा रायपुर, दिनांक - 10/03/2026

// ऑनलाइन निविदा प्रपत्र//

निविदा प्रपत्र का शुल्क	₹ 1000/- (वापसी योग्य नहीं)
अमानत राशि	₹ 50,000/- (बिना ब्याज के वापसी योग्य)
तकनीकी निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	दिनांक 01/04/2026 समय दोपहर 03:00 बजे तक
तकनीकी निविदा खोलने की तिथि	दिनांक 01/04/2026 समय दोपहर 04:00 बजे
वित्तीय निविदा खोलने की तिथि	पात्र बोलीदाताओं को पृथक रूप से सूचित की जाएगी



जनसम्पर्क संचालनालय
छत्तीसगढ़ रायपुर
इंद्रावती भवन, नवा रायपुर - अटल नगर, जिला – रायपुर (छ.ग)
फोन नं – 0771- 2511964

जनसम्पर्क संचालनालय छत्तीसगढ़
इंद्रावती भवन, नवा रायपुर - अटल नगर, जिला - रायपुर (छ.ग)
निविदा सूचना

**“जनसंपर्क संचालनालय, छत्तीसगढ़ द्वारा मीडिया कवरेज हेतु वाहन किराये पर उपलब्ध कराने वाली एजेंसियों का इम्पैनलमेंट हेतु निविदा”
(द्वितीय आमंत्रण)**

निविदा सूचना क्रमांक - 1580

नवा रायपुर, दिनांक - 10/03/2026

राज्य शासन के विभिन्न शासकीय कार्यक्रमों , आयोजनों एवं मीडिया कवरेज हेतु आवश्यक वाहनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने एवं किराया दरों के मानकीकरण के उद्देश्य से , जनसम्पर्क संचालनालय, रायपुर द्वारा योग्य एजेंसियों / संस्थाओं से “वाहन किराये पर उपलब्ध कराने हेतु फर्मों के पंजीकरण (Empanelment)” के लिए अभिरुचि आमंत्रित की जाती है।

इच्छुक एजेंसियाँ निविदा दस्तावेज़ छत्तीसगढ़ संवाद की वेबसाइट <https://samvad.cg.nic.in> से प्राप्त कर सकती हैं। निविदा दस्तावेज़ शुल्क ₹1000/- (अपरिवर्तनीय) तथा ई.एम.डी (Earnest Money Deposit) ₹50,000/- देय होगी।

निविदा प्रपत्र का शुल्क	₹ 1000/- (वापसी योग्य नहीं)
अमानत राशि	₹ 50,000/- (बिना ब्याज के वापसी योग्य)
तकनीकी निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	दिनांक 01/04/2026 समय दोपहर 03:00 बजे तक
तकनीकी निविदा खोलने की तिथि	दिनांक 01/04/2026 समय दोपहर 04:00 बजे
वित्तीय निविदा खोलने की तिथि	पात्र बोलीदाताओं को पृथक रूप से सूचित की जाएगी

आयुक्त
जनसम्पर्क संचालनालय
इंद्रावती भवन, नवा रायपुर - अटल नगर
जिला - रायपुर (छ.ग)

जनसम्पर्क संचालनालय छत्तीसगढ़

(इंद्रावती भवन, नवा रायपुर - अटल नगर, जिला - रायपुर (छ.ग))

“जनसंपर्क संचालनालय, छत्तीसगढ़ द्वारा मीडिया कवरेज हेतु वाहन किराये पर उपलब्ध कराने वाली एजेंसियों का इम्पैनलमेंट हेतु निविदा”
(द्वितीय आमंत्रण)

ऑनलाईन निविदा की नियम एवं शर्तें

(क) जनसम्पर्क संचालनालय, नया रायपुर द्वारा राज्य शासन के विभिन्न कार्यक्रमों के मीडिया कवरेज हेतु राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय मीडिया प्रतिनिधियों तथा फोटो / वीडियो पत्रकार दलों के आवागमन के लिए वाहनों की व्यवस्था की जाती है। छत्तीसगढ़ राज्य में माननीय राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय केंद्रीय मंत्रिगण एवं अन्य विशिष्ट अतिथियों के आगमन के अवसर पर उनके कार्यक्रमों से संबंधित मीडिया कर्मियों को भी वाहनों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना संचालनालय की नियमित आवश्यकता होती है।

इसी प्रकार, माननीय मुख्यमंत्री के जिला स्तरीय दौरो, राज्य शासन की योजनाओं एवं उपलब्धियों के प्रचार-प्रसार तथा अन्य शासकीय आयोजनों के मीडिया कवरेज के लिए समय-समय पर पर्याप्त संख्या में वाहनों की आवश्यकता पड़ती है।

उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए, आवश्यकता के अनुसार वाहनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा उनके किराया दरों के मानकीकरण के उद्देश्य से यह निविदा जारी की जा रही है।

1. इस निविदा के अंतर्गत एजेंसियों का चयन द्वि-आवरण प्रणाली (Two-Bid System) के माध्यम से किया जाएगा , जिसमें पहले पूर्व-योग्यता (Pre-Qualification) का मूल्यांकन किया जाएगा तथा पात्र पाई गई एजेंसियों के वित्तीय प्रस्ताव (Financial Bid) का पृथक रूप से परीक्षण किया जाएगा। अंततः पात्र एजेंसियों में से न्यूनतम दर (L-1) के आधार पर दर निर्धारण कर अधिकतम 10 एजेंसियों का चयन एवं इम्पैनलमेंट किया जाएगा।
2. निविदाकार एजेंसी को ई-निविदा आवेदन के साथ निविदा शुल्क ₹. 1,000/- एवं अमानत राशि ₹. 50,000/- जनसम्पर्क संचालनालय के बैंक खाता में ऑनलाईन/आरटीजीएस के माध्यम से जमा करना होगा एवं पावती / साक्ष्य की प्रति ऑनलाईन टेक्निकल बिड के साथ जमा करना होगा।

जनसम्पर्क संचालनालय छत्तीसगढ़ के खाते का विवरण इस प्रकार है:

Account Name: Directorate of Public Relations

Bank Name: State Bank of India

Branch Name: Kachahari, Raipur

SB Account No.: 32430400241

IFSC: SBIN0003314

बिना निविदा शुल्क एवं जमानत राशि (Earnest Money) के कोई निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी। जमानत राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा तथा अनुबंध की समाप्ति पर (आवश्यक समायोजन के उपरांत) उक्त राशि वापसी योग्य होगी।

3. ऑनलाइन ई-निविदा प्रपत्र छत्तीसगढ़ संवाद की वेबसाइट <http://samvad.cg.nic.in/> के माध्यम से ही प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। निविदा की नियम-शर्तों या किसी अन्य प्रकार के संशोधन की स्थिति में पृथक रूप से समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया जाएगा; संशोधन संबंधी सूचना केवल उक्त वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी, जो अंतिम रूप से प्रामाणिक मानी जाएगी।
4. सभी प्री-बिड प्रश्नों को अंतिम तिथि तक ईमेल द्वारा cgdpereproc@gmail.com पर प्रेषित करना अनिवार्य होगा। अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त प्रश्नों पर विचार नहीं किया जाएगा।
5. यह इम्पैनलमेंट निविदा, लागू होने की तिथि से प्रारंभ होकर आगामी दो (02) वर्ष की अवधि के लिए प्रभावशील रहेगी। इम्पैनलमेंट अवधि को प्रदर्शन एवं आपसी सहमति के आधार पर प्रत्येक बार एक (01) वर्ष की अवधि के लिए अधिकतम दो (02) वर्ष तक बढ़ाने का अधिकार आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, छत्तीसगढ़ के पास सुरक्षित रहेगा।
6. एजेंसी अपनी उपलब्धता, क्षमता एवं अनुभव के आधार पर किसी एक श्रेणी (कार या बस) अथवा दोनों श्रेणियों के लिए निविदा प्रस्तुत कर सकती है।
7. निविदाकार को स्वयं / फर्म के अनुभव , वार्षिक कारोबार (टर्नओवर) , जीएसटी रिटर्न , आयकर रिटर्न एवं अन्य सभी वांछित प्रमाण-पत्र / दस्तावेज विधिवत रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। किसी भी प्रकार की फ्रेंचाइजी, सब-लेटिंग या जॉइंट वेंचर व्यवस्था इस निविदा के अंतर्गत स्वीकार्य नहीं होगी।
8. भुगतान वास्तविक रूप से उपलब्ध कराए गए वाहनों एवं सेवाओं के सत्यापन उपरांत किया जाएगा। प्रत्येक कार्यक्रम या उपयोग अवधि के पश्चात एजेंसी द्वारा प्रमाणित बिल प्रस्तुत किए जाने पर ही भुगतान की प्रक्रिया आरंभ होगी।
9. प्रत्येक बिल के साथ संबंधित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित वाहन उपयोग प्रमाण-पत्र (ड्यूटी स्लिप/लॉग शीट), प्रयुक्त वाहनों की विवरण सूची (वाहन क्रमांक , तिथि, समय, किलोमीटर रीडिंग सहित), चालक का नाम , मोबाइल नंबर एवं हस्ताक्षर , तथा जीएसटी सहित कर चालान संलग्न करना अनिवार्य होगा।
10. भुगतान स्वीकृत वित्तीय प्रस्ताव (Financial Bid) में उल्लिखित L1 दरों के अनुसार ही किया जाएगा, जिसमें ईंधन, चालक का वेतन, रख-रखाव, बीमा, सड़क कर एवं अन्य सभी शुल्क

सम्मिलित माने जाएंगे। किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान पृथक रूप से देय नहीं होगा।

11. किसी बिल में विवाद, त्रुटि या अपूर्ण जानकारी पाए जाने पर संबंधित भाग का भुगतान स्थगित किया जा सकेगा और विवाद के निवारण के पश्चात ही भुगतान अनुमोदित किया जाएगा।
12. निर्धारित अवधि से विलंबित बिलों पर भुगतान का निर्णय संबंधित विभाग के विवेकाधिकार पर निर्भर करेगा, जिसका निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

(ख) पात्रता मापदंड

1. **पंजीयन:** निविदाकार एजेंसी का पंजीयन भारत में विधिवत रूप से किसी वैध संस्था के रूप में (जैसे – कम्पनी अधिनियम, साझेदारी अधिनियम अथवा एकल स्वामित्व फर्म) किया गया हो। एजेंसी को GST पंजीयन प्रमाणपत्र, स्थायी लेखा संख्या (PAN) तथा परिवहन विभाग से मान्यता प्राप्त वैध लाइसेंस की सत्यापित प्रतियाँ प्रस्तुत करनी होंगी।
2. **अनुभव:** निविदाकार एजेंसी के पास निविदा तिथि से पिछले तीन (03) वित्तीय वर्षों के भीतर में किसी शासकीय विभाग / शासकीय उपक्रम / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSU) / स्वायत्त संस्था / सांविधिक निकाय को वाहन किराये पर उपलब्ध कराने अथवा परिवहन सेवाएँ प्रदान करने का अनुभव होना आवश्यक है।
अनुभव के प्रमाण हेतु संबंधित कार्यदिश/अनुबंध की प्रति तथा कार्य पूर्णता प्रमाणपत्र अथवा जारी कार्य के लिए नवीनतम बिल/भुगतान/सम्बंधित कार्यालय से प्रमाणपत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।
3. **न्यूनतम वार्षिक टर्नओवर:** निविदाकार एजेंसी का औसत वार्षिक टर्नओवर पिछले तीन (03) वित्तीय वर्षों - 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 या 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 में न्यूनतम ₹25,00,000/- (पच्चीस लाख रुपये मात्र) होना आवश्यक है। इसका प्रमाण चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित बैलेंस शीट (UDIN सहित) / ऑडिटेड वित्तीय विवरण तथा आयकर रिटर्न (ITR) की प्रतियाँ प्रस्तुत कर दिया जाएगा।
4. **वाहन बेड़ा :** निविदाकार एजेंसी के पास आवश्यकतानुसार पर्याप्त संख्या में वाहनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की क्षमता होनी चाहिए।
 - यदि एजेंसी केवल कार श्रेणी (SUV/सेडान) हेतु निविदा प्रस्तुत कर रही है, तो उसके पास स्वयं के स्वामित्व एवं वर्ष 2022 या उसके पश्चात की न्यूनतम 2 (दो) कारें होना चाहिए।
 - यदि एजेंसी केवल बस श्रेणी (मिडी/कोच/सेमी-स्लीपर) हेतु निविदा प्रस्तुत कर रही है, तो उसके पास स्वयं के स्वामित्व एवं वर्ष 2022 या उसके पश्चात की न्यूनतम 2 (दो) बसें होना चाहिए।

- यदि एजेंसी दोनों श्रेणियों (कार एवं बस) के लिए निविदा प्रस्तुत कर रही है, तो उसके पास स्वयं के स्वामित्व एवं वर्ष 2022 या उसके पश्चात की कुल 4 (चार) वाहन — अर्थात् 2 (दो) कारें एवं 2 (दो) बसें होना अनिवार्य होगा।

एजेंसी को केवल स्वयं के स्वामित्व के वाहन का ही विवरण प्रस्तुत करना होगा।

किराए, हायर अथवा अनुबंध मान्य नहीं होगा। प्रस्तावित वाहनों के संबंध में स्व-घोषणा (कंपनी लेटरहेड पर), पंजीयन पत्र, वाहन संख्या, मॉडल, पंजीयन वर्ष, बीमा एवं फिटनेस प्रमाणपत्र सहित सभी विवरण प्रस्तुत करना भी अनिवार्य होगा। किसी वाहन के विक्रय, दुर्घटना, अनुपलब्धता या संचालन में व्यवधान होने की स्थिति में एजेंसी को तत्स्थानिक समकक्ष वाहन उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

5. **चालक एवं परिचालन व्यवस्था:** एजेंसी / निविदाकार एजेंसी के पास प्रस्तावित वाहन बेड़े के संचालन हेतु प्रशिक्षित न्यूनतम 03 (तीन) वर्ष के अनुभव वाले, वैध ड्राइविंग लाइसेंसधारी एवं चालकों की उपलब्धता सुनिश्चित होना आवश्यक है। पुलिस सत्यापन अनिवार्य होगा, किंतु कार्यदिश/अनुबंध निष्पादन की तिथि से अधिकतम 03 (तीन) माह के भीतर सभी प्रस्तावित चालकों का पुलिस सत्यापन विभाग में प्रस्तुत करना होगा। निविदा प्रस्तुत करते समय एजेंसी को प्रस्तावित चालकों के संबंध में स्व-घोषणा (कम्पनी लेटरहेड पर), वैध ड्राइविंग लाइसेंस की प्रति, फोटो पहचान-पत्र एवं पता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। किसी चालक के प्रतिस्थापन या नए चालक की नियुक्ति की स्थिति में एजेंसी को संबंधित चालक का पुलिस सत्यापन पूर्व में ही सुनिश्चित कर रखना होगा तथा कार्य हेतु तैनाती के समय तत्काल विभाग में प्रस्तुत करना होगा। यदि एजेंसी केवल कार श्रेणी हेतु निविदा प्रस्तुत कर रही है, तो उसके पास कम से कम 2 (दो) प्रशिक्षित चालक उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। यदि एजेंसी केवल बस श्रेणी हेतु निविदा प्रस्तुत कर रही है, तो उसके पास कम से कम 2 (दो) प्रशिक्षित चालक उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। यदि एजेंसी दोनों श्रेणियों (कार एवं बस) के लिए निविदा प्रस्तुत कर रही है, तो उसके पास कम से कम 4 (चार) प्रशिक्षित चालक अर्थात् प्रत्येक श्रेणी हेतु 2-2 चालक उपलब्ध होना आवश्यक होगा। विभाग को प्रस्तुत अभिलेखों की जांच, स्थल सत्यापन अथवा संबंधित प्राधिकरण से पुष्टि कराने का अधिकार रहेगा। गलत अथवा अपूर्ण जानकारी पाए जाने पर निविदा अस्वीकृत की जा सकेगी तथा आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा सकेगी। धन जान की सुरक्षा एवं नियमानुसार EPF / ESIC, श्रम कानून के पालन करने का उत्तरदायित्व एजेंसी का होगा।
6. **स्थानीय कार्यालय :** निविदाकार एजेंसी के पास रायपुर नगर सीमा के भीतर स्थानीय कार्यालय होना अनिवार्य होगा। यदि निविदा प्रस्तुतीकरण की तिथि तक कार्यालय उपलब्ध नहीं है, तो कार्यदिश जारी होने की तिथि से 30 (तीस) दिवस के भीतर रायपुर में कार्यालय स्थापित करना आवश्यक होगा। इसके संबंध में एजेंसी को अपने लेटरहेड पर अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित स्व-घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।

7. **निविदा दस्तावेज़ शुल्क एवं जमानत राशि** : निविदा दस्तावेज़ शुल्क ₹1,000/- (एक हजार रुपये मात्र) निर्धारित किया गया है , जो वापसी योग्य नहीं होगा। साथ ही, प्रत्येक निविदाकार को ₹50,000/- (रुपये पचास हजार मात्र) की जमानत राशि (Earnest Money Deposit - EMD) सीधे ऑनलाइन बैंक हस्तांतरण (Direct Bank Transfer) के माध्यम से जमा करना आवश्यक होगा।
8. **पूर्व इम्पैनलमेंट** : छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग (GAD), पर्यटन विभाग अथवा किसी अन्य शासकीय संस्था में पूर्व से इम्पैनल एजेंसियों को वरीयता प्रदान की जाएगी। यह अनिवार्य नहीं होगा , परंतु चयन प्रक्रिया के दौरान वरीयता का आधार बन सकता है।
9. निविदाकार एजेंसी द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में वैध GST पंजीयन (GSTIN) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि GSTIN उपलब्ध नहीं है, तो निविदा प्रस्तुत करते समय GST पंजीयन हेतु आवेदन संख्या/रसीद प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा तथा GST पंजीयन प्राप्त होते ही विभाग में प्रस्तुत करना होगा। उक्त प्रावधान पात्रता मापदंड के लिए अनिवार्य होगा एवं अपूर्ण होने की स्थिति में एजेंसी को अयोग्य माना जायेगा।
10. **ब्लैकलिस्टिंग**: निविदाकार किसी भी शासकीय विभाग / PSU / स्वायत्त संस्था द्वारा काले सूचीबद्ध (blacklisted) न किया गया हो — इसके संबंध में स्वप्रमाणित घोषणा (Self-Declaration) प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

(ग) दर उद्धरण प्रारूप

(A) कार / SUV श्रेणी (ए.सी. वाहन):

क्रमांक	वाहन का प्रकार	प्रतिदिन का किराया (100 कि.मी. सहित) ₹	अतिरिक्त प्रति कि.मी. दर ₹
1	टोयोटा इनोवा क्रिस्टा / किया कैरेंस या समकक्ष		
2	मारुति अर्टिगा / महिंद्रा एक्सएल6 / महिंद्रा बोलेरो या समकक्ष		
3	सुजुकी सियाज़ / ह्युंडई वर्ना / होंडा सिटी या समकक्ष		
4	मारुति सुजुकी डिज़ायर / ह्युंडई ऑरा या समकक्ष		

नोट: उपरोक्त दरें सभी करें (जीएसटी सहित) एवं ईंधन, वाहन रख-रखाव, बीमा, चालक का वेतन, भत्ता, टोल टैक्स, पार्किंग शुल्क, रात्रि विश्राम भत्ता तथा अन्य सभी व्यय को सम्मिलित करते हुए पूर्ण एवं अंतिम दरें मानी जाएँगी। इन मदों के लिए कोई पृथक भुगतान देय नहीं होगा।

(B) वातानुकूलित बसें (AC Buses)

क्रमांक	बस का प्रकार	300 कि.मी. तक की दर (डीज़ल , टोल टैक्स एवं अन्य खर्च सहित) ₹	300 कि.मी. से अधिक दूरी होने पर प्रति कि.मी. अतिरिक्त दर ₹	12 से 24 घंटे तक बस की हॉल्टिंग पर शुल्क ₹
1	30 सीटर स्लीपर AC लग्जरी बस			
2	36 सीटर स्लीपर AC लग्जरी बस			
3	20 चेयर सीटर + 15 स्लीपर AC बस			
4	40 चेयर सीटर AC लग्जरी बस			
5	16 सीटर AC फ़ोर्स अर्बेनिया या समकक्ष			

नोट: उपरोक्त दरें सभी करें (जीएसटी सहित) एवं ईंधन, वाहन रख-रखाव, बीमा, चालक का वेतन, भत्ता, टोल टैक्स, पार्किंग शुल्क, रात्रि विश्राम भत्ता तथा अन्य सभी व्यय को सम्मिलित करते हुए पूर्ण एवं अंतिम दरें मानी जाएँगी। इन मदों के लिए कोई पृथक भुगतान देय नहीं होगा।

(घ) इम्पैनलमेंट की प्रक्रिया

प्रत्येक श्रेणी — (क) कार/SUV श्रेणी एवं (ख) बस श्रेणी — के लिए वित्तीय मूल्यांकन पृथक रूप से किया जाएगा। इम्पैनलमेंट हेतु निम्न प्रक्रिया अपनाई जाएगी —

- पूर्व-अर्हता (PQ) में पात्र पाई गई सभी एजेंसियों की वित्तीय बोलियाँ श्रेणीवार (कार एवं बस) अलग-अलग खोली जाएँगी।
- प्रत्येक श्रेणी में सबसे न्यूनतम दर (L1) प्रस्तुत करने वाली एजेंसी को संबंधित श्रेणी की L1 एजेंसी घोषित किया जाएगा।
- तत्पश्चात, L2 एवं L3 एजेंसियों को यह अवसर प्रदान किया जाएगा कि वे L1 द्वारा उद्धृत दर को स्वीकार (Match) करें।
- जो एजेंसियाँ L1 की दर को लिखित रूप में स्वीकार करती हैं , उन्हें उसी श्रेणी में इम्पैनल (Empanel) किया जाएगा।
- यदि किसी एजेंसी द्वारा L1 दर स्वीकार नहीं की जाती, तो क्रमवार अगली पात्र एजेंसी (L4, L5, इत्यादि) को आमंत्रित किया जाएगा, जब तक कि उस श्रेणी के लिए अधिकतम पाँच (05) एजेंसियाँ L1 दर स्वीकार कर इम्पैनल न हो जाएँ।
- इस प्रकार, प्रत्येक श्रेणी — कार एवं बस — में अधिकतम पाँच (05) एजेंसियाँ इम्पैनल की जा सकेंगी।
- यदि कोई एजेंसी दोनों श्रेणियों (कार एवं बस) में L1 दर को स्वीकार करती है और पात्र पाई जाती है, तो उसे दोनों श्रेणियों में शामिल किया जाएगा, परंतु प्रत्येक श्रेणी में एक-एक स्थान के रूप में ही गिना जाएगा।
- कुल मिलाकर अधिकतम दस (10) एजेंसियों का इम्पैनलमेंट किया जा सकेगा — पाँच (05) कार श्रेणी हेतु तथा पाँच (05) बस श्रेणी हेतु।
- विभाग को यह अधिकार सुरक्षित रहेगा कि किसी श्रेणी में पर्याप्त पात्र एजेंसियाँ न होने की स्थिति में उतनी ही एजेंसियों को इम्पैनल किया जाए जितनी L1 दर स्वीकार करने को तैयार हों।
- इम्पैनल की गई एजेंसियों से विभागीय आवश्यकता अनुसार कार्यदिश (Work Order) क्रमशः L1 दर पर, आवश्यकता एवं उपलब्धता के आधार पर जारी किया जाएगा।

(ड) अन्य नियम व शर्तें

- निविदाकार को सभी अपेक्षित दस्तावेजों को निर्धारित प्रारूप में क्रमवार अनुक्रमणिका (Indexing) सहित स्व-प्रमाणित (Self-Attested) करते हुए, प्रत्येक पृष्ठ पर क्रम संख्या (Page Number) अंकित कर एकल संलग्न दस्तावेज (Single Compiled Document) के रूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- दरों की तर्कसंगतता : प्रत्येक श्रेणी के प्रत्येक मद (शीर्षक) की L1 दर का मूल्यांकन उस श्रेणी के औसत दर (Average Rate) से किया जाएगा। यदि किसी मद की L1 दर औसत दर से 30 प्रतिशत या अधिक कम पाई जाती है, तो उसे अव्यवहारिक (Unreasonable) माना जाएगा, और ऐसे प्रकरण में उस मद हेतु L2 की दर को अनुमोदित किया जाएगा।
- किराये पर उपलब्ध कराए जाने वाले वाहन का मॉडल वर्ष 2022 या उसके बाद का होना आवश्यक है। वाहन के पंजीयन संबंधी दस्तावेज की सत्यापित प्रति अनिवार्य रूप से प्रस्तुत की जावे।
- वाहन के सभी दस्तावेज, जैसे – जीवित बीमा (कम्प्रेहेन्सिव), फिटनेस प्रमाण पत्र आदि वैध एवं अद्यतन होना चाहिए। उक्त समस्त व्यय वाहन स्वामी द्वारा वहन किया जाएगा। बीमा दस्तावेज की प्रति प्रस्तुत की जावे।
- वाहन मुख्यालय पर अथवा मुख्यालय से बाहर उपयोग किए जाने पर कोई अतिरिक्त राशि देय नहीं होगी।
- किराये की अवधि में वाहन आबंटित अधिकारी के आधिपत्य में रहेगा। यदि फर्म द्वारा वाहन का उपयोग निजी प्रयोजन अथवा कार्यालय से हटकर अन्य किसी कार्य में किया जाता है, तो वाहन तत्काल प्रभाव से हटाया जाएगा।
- वाहन की मरम्मत, रखरखाव, दुर्घटना दावा एवं अन्य समस्त व्यय वाहन स्वामी द्वारा वहन किया जाएगा।
- उपयोग के दौरान वाहन खराब होने की स्थिति में समकक्ष वाहन तत्काल उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा। वाहन समय पर उपलब्ध नहीं कराए जाने की स्थिति में उस दिवस की राशि कटौती की जाएगी। यदि कार्यालय द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था की जाती है, तो उसका व्यय फर्म के खाते से समायोजित किया जाएगा।
- वाहन का उपयोग अवकाश दिवसों पर भी किया जा सकेगा। यदि अवकाश दिवस पर वाहन उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो प्रति दिवस की राशि कटौती की जाएगी।
- फर्म को वाहन चालक का विवरण (आधार कार्ड, वैध ड्राइविंग लाइसेंस, अनुभव प्रमाण पत्र आदि) प्रस्तुत करना होगा। वाहन चालक को यातायात नियमों की जानकारी होना आवश्यक है, न्यूनतम 03 वर्ष का ड्राइविंग अनुभव हो तथा उसके विरुद्ध कोई आपराधिक या दुर्घटना संबंधी मामला लंबित न हो।
- वाहन चालक को प्रतिदिन लॉग बुक संधारित करनी होगी, जिसमें उपयोगकर्ता अधिकारी/कर्मचारी से प्रतिदिन हस्ताक्षर कराना अनिवार्य होगा। लॉग बुक की सत्यापित प्रति

के साथ देयक प्रस्तुत किया जाएगा। फर्म को अपने बैंक खाते का विवरण कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा।

- देयक के भुगतान में नियमानुसार आयकर एवं जीएसटी की कटौती की जाएगी।
- वाहन चालक का समस्त व्यय (वेतन, भत्ता आदि) फर्म द्वारा वहन किया जाएगा।
- वाहन चालक के अवकाश या अस्वस्थता की स्थिति में फर्म को तत्काल अन्य अर्हताधारी चालक की व्यवस्था करनी होगी।
- चालक द्वारा वर्दी/शिष्टाचार का पालन, नशीले पदार्थों का सेवन न करना, ड्राइविंग के दौरान मोबाइल का उपयोग प्रतिबंधित होगा यह सुनिश्चित करना भी फर्म के कार्यक्षेत्र में होगा।
- लगातार खराब/असंतोषजनक सेवाएँ, बार-बार वाहन/चालक अनुपलब्धता अथवा संविदा शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में विभाग एजेंसी का इम्पैनलमेंट समाप्त करने एवं काली सूचीबद्ध (Blacklisting) करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- दर निर्धारण के पश्चात् नियत अवधि हेतु कार्यदिश जारी / अनुबंध किया जाएगा। कार्यदिश / अनुबंध में उल्लिखित शर्तों का उल्लंघन पाए जाने पर सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकती हैं। कार्यदिश अनुबंध निरस्तीकरण का अधिकार कार्यालय प्रमुख के पास सुरक्षित रहेगा।
- नियत अवधि में पेट्रोल/डीजल के दर, टैक्स अथवा जीएसटी में वृद्धि होने की स्थिति में उसका अतिरिक्त भार वाहन आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा वहन किया जाएगा।
- वाहन के प्रकार का चयन एवं निर्धारण कार्यालय के अधिकार क्षेत्र में रहेगा।
- स्वीकृत दर पर आवश्यकतानुसार वाहन उपलब्ध कराना संबंधित ट्रेवल एजेंसी/फर्म की जिम्मेदारी होगी। अनुपलब्धता की स्थिति में कार्यालय को अन्य एजेंसी/फर्म से वाहन प्राप्त करने का अधिकार रहेगा तथा दोषी फर्म के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
- वाहन किराये पर उपलब्ध कराने के संबंध में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय कार्यालय प्रमुख द्वारा लिया जाएगा, जो दोनों पक्षों के लिए अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।
- वाहन में फास्टैग सुविधा अनिवार्य रूप से उपलब्ध होनी चाहिए , जिसका रिचार्ज अनुबंधकर्ता फर्म द्वारा किया जाएगा।
- इम्पैनलड फर्मों को स्वीकृत न्यूनतम दरों तथा लागू जीएसटी के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का पृथक अथवा अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा। सभी व्यय स्वीकृत दरों में समाहित माने जाएंगे।
- निविदा को स्वीकृत या निरस्त करने, अथवा निविदा की किसी भी शर्त में आवश्यकतानुसार संशोधन, परिवर्तन या शिथिलीकरण करने का पूर्ण अधिकार आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, छत्तीसगढ़ के पास सुरक्षित रहेगा। निविदा प्रक्रिया के दौरान, यदि शासनहित में आवश्यक समझा जाए, तो आयुक्त द्वारा अतिरिक्त शर्तें या निर्देश निर्धारित किए जा सकते हैं, जिन्हें निविदाकार द्वारा स्वीकार करना अनिवार्य होगा।
- निविदा प्रस्तुत करने का आशय यह होगा कि निविदाकार को उपरोक्त सभी नियम एवं शर्तें मान्य हैं एवं निविदाकार फर्म को कॉपीराइट नियम, बौद्धिक सम्पदा नियम का पालन करना होगा।

- किसी भी वाद-विवाद की स्थिति में न्यायालयीन क्षेत्र जिला न्यायालय, रायपुर, छत्तीसगढ़ ही होगा।
- मध्यस्थता (Arbitration) : यदि किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है एवं 30 दिवस के भीतर उसका समाधान नहीं होता, तो मामला एकल मध्यस्थ – प्रमुख सचिव/सचिव, जनसंपर्क विभाग को संदर्भित किया जाएगा। उनका निर्णय दोनों पक्षों के लिए अंतिम एवं बाध्यकारी होगा। मध्यस्थता की कार्यवाही Arbitration and Conciliation Act, 1996 के अधीन संपादित होगी।

आयुक्त
जनसम्पर्क संचालनालय
अटल नगर, रायपुर

Annexure-1: शपथ पत्र

(रु. 50/- के स्टाम्प पेपर में नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करना होगा)

प्रति,

आयुक्त

जनसम्पर्क संचालनालय

इंद्रावती भवन

नवा रायपुर - अटल नगर

मैं----- संस्था प्रमुख निवासी ----- छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा जारी निर्धारित नियम एवं शर्त तथा अनुबंध का पूर्ण रूप से अध्ययन करने के पश्चात ही उपरोक्त आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रहा/रही हूं। उपरोक्त आवेदन में प्रस्तुत सभी दस्तावेज और जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही हैं एवं आवश्यक रूप से कोई भी जानकारी नहीं दबाई या छोड़ी है। उपरोक्त आवेदन में अंकित कोई भी जानकारी अपर्याप्त/अधूरी या फिर गलत पाई जाती है तो इसे अस्वीकार/निरस्त करने का अधिकार आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय को होगा। इस बारे में मेरे या संस्था के किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी तरह की अपील या आपत्ति किसी क्षेत्र में नहीं की जायेगी। मुझे जनसम्पर्क संचालनालय की उपरोक्त से संबंधित सभी नियम एवं शर्तें स्वीकार है।

यह कि वर्तमान में हमारी संस्था -----या मैं स्वयं किसी शासकीय और अर्द्ध शासकीय विभाग द्वारा ब्लेक लिस्टेट (काली सूची) नहीं है एवं हमारी संस्था द्वारा देय सभी कर एवं शुल्क का भुगतान किया जा चुका है।

स्थान -----

दिनांक -----

हस्ताक्षर

(पूरा नाम)

संस्था का नाम व मोहर

Annexure-2: पंजीयन एवं वैधानिक दस्तावेजों की घोषणा (एजेंसी लेटरहेड पर)

घोषणा-पत्र

प्रति,

आयुक्त

जनसम्पर्क संचालनालय

इंद्रावती भवन

नवा रायपुर - अटल नगर

विषय: घोषणा-पत्र - [टेंडर का शीर्षक एवं क्रमांक]

मैं, (नाम), अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, (एजेंसी का नाम) द्वारा यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि हमारी संस्था भारत में विधिवत रूप से पंजीकृत है। संस्था के GST, PAN एवं परिवहन विभाग से मान्यता प्राप्त सभी प्रमाणपत्र वैध हैं एवं सत्यापित प्रतियाँ निविदा के साथ संलग्न की गई हैं। प्रस्तुत समस्त विवरण हमारे सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही हैं।

दिनांक:

स्थान:

(हस्ताक्षर)

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम एवं पदनाम

सील / मोहर

Annexure-3: अनुभव विवरण

प्रति,

आयुक्त

जनसम्पर्क संचालनालय

इंद्रावती भवन

नवा रायपुर - अटल नगर

विषय: [टेंडर का शीर्षक एवं क्रमांक]

क्र.	कार्य का विवरण	विभाग / संस्था का नाम	कार्य आदेश संख्या / दिनांक	कार्य अवधि	अनुबंध मूल्य (₹)	कार्य पूर्णता प्रमाणपत्र संलग्न (हाँ/नहीं)
1						
2						
3						
...						

घोषणा:

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपरोक्त सभी विवरण सत्य एवं प्रमाणित हैं।

(हस्ताक्षर एवं मोहर)

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

Annexure-4: औसत वार्षिक कारोबार प्रमाणपत्र

(चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा जारी प्रमाणपत्र)

प्रति,

आयुक्त

जनसम्पर्क संचालनालय

इंद्रावती भवन

नवा रायपुर - अटल नगर

विषय: [टेंडर का शीर्षक एवं क्रमांक]

यह प्रमाणित किया जाता है कि M/s का औसत वार्षिक कारोबार वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 में निम्नानुसार रहा है —

वित्तीय वर्ष	कुल कारोबार (₹)
2022-23	
2023-24	
2024-25	
औसत वार्षिक कारोबार (₹)	

औसत वार्षिक कारोबार ₹..... (शब्दों में) है , जो ₹25,00,000/- (रुपये पच्चीस लाख मात्र) से कम नहीं है।

यह प्रमाणपत्र मेरे द्वारा सत्यापन उपरांत जारी किया गया है।

दिनांक:

(सीए हस्ताक्षर)

नाम:

सदस्य संख्या (Membership No.):

UDIN:

मोहर:

Annexure-5: वाहन सूची

प्रति,

आयुक्त

जनसम्पर्क संचालनालय

इंद्रावती भवन

नवा रायपुर - अटल नगर

विषय: [टेंडर का शीर्षक एवं क्रमांक]

क्र.	वाहन प्रकार (कार/बस)	मॉडल	पंजीयन संख्या	पंजीयन वर्ष	बीमा वैधता	फिटनेस प्रमाणपत्र वैधता	स्वामित्व स्थिति (स्वयं / अनुबंधित)
1							
2							
3							
4							
5							
6							
...							

घोषणा:

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपरोक्त सभी विवरण सत्य एवं प्रमाणित हैं।

(हस्ताक्षर एवं मोहर)

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

Annexure-6: चालकों एवं परिचालन कर्मियों की सूची

प्रति,

आयुक्त

जनसम्पर्क संचालनालय

इंद्रावती भवन

नवा रायपुर - अटल नगर

विषय: [टेंडर का शीर्षक एवं क्रमांक]

क्र.	पूरा नाम	डाइविंग लाइसेंस संख्या	पुलिस सत्यापन दिनांक	रोजगार स्थिति (EPF/Payroll)	प्रमाणपत्र संग्रह (हाँ/नहीं)
1					
2					
3					
...					

घोषणा:

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपरोक्त सभी विवरण सत्य एवं प्रमाणित हैं।

(हस्ताक्षर एवं मोहर)

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

*****END OF DOCUMENT*****